

भूमि कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)

क्रमांक/न.पा.नाथ/2023/22147

दिनांक: 10/4/2023

कार्यालय-आदेश

एतर्था द्वारा नगरपालिका नाथद्वारा की साधारण सभा की बैठक दिनांक 11.02.2023 की कार्यवाही विवरणीका क्रमांक/न.पा.नाथ./म0बै0/2023/20686-20688 दिनांक 27.02.2023 के बिन्दु संख्या-04 के उपबिन्दु संख्या-A में लिये गये निर्णयानुसार बस स्टेण्ड से कोठारियां रोड़ बाईपास/बस स्टेण्ड से नाथुवास/मावली रोड़ बाईपास लिंक एवं Proposed approach road from 120ft road to proposed Theme park Nathdwara परियोजना में निदेशालय आदेश क्रमांक/भूमि/एफ.7(ड)(208)डीएलबी/2022/180 दिनांक 17.01.2023 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रभावित खातेदारों को उनकी बाईपास निर्माण से प्रभावित भूमि के बदले क्षतिपूरक व्यवहार के समतुल्य डी.एल.सी. के आधार पर उनके द्वारा पालिका में प्रस्तुत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन आवेदनों में पालिका के सामान्य मद में जमा किये जाने योग्य कुल राशि में से उक्त संरेखण प्रस्ताव अनुसार प्रभावित भूमि के वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार कुल राशि को समायोजित किये जाने तथा जिन प्रभावित खातेदारों को उक्त प्रभावित भूमि के क्षतिपूरक व्यवहार के रूप में नगद राशि भुगतान आदि किये जाने हेतु पालिका साधारण सभा बैठक दिनांक 11.02.2023 में लिये गये निर्णयानुसार निम्नानुसार समिति गठन किया जाता है :-

| क्र.सं. | कार्मिक का नाम | पद | विशेष विवरण |
|---------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. | श्री चन्द्रमोहन कौशिक | सहायक अभियंता-प्रथम | समिति अध्यक्ष |
| 2. | श्री किशनलाल यादव | कनिष्ठ लेखाकार | समिति सदस्य |
| 3. | श्री ऋषभ जोशी | वरिष्ठ प्रारूपकार | समिति सदस्य |
| 4. | श्री योगेश कुमार शर्मा | वरिष्ठ लिपिक/केशीयर | समिति सदस्य |
| 5. | श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा | कनि०लि०/भूमि शाखा प्रभारी | समिति सदस्य सचिव |

अतः उक्त गठित समिति द्वारा बाईपास लिंक रोड़ निर्माण से प्रभावित भूमि के बदले भूमि/डी.एल.सी. के आधार पर क्षतिपूर्ति/कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवेदनों हेतु राशि का समायोजन किये जाने हेतु समयबद्ध रूप आवश्यक कार्यवाही के साथ औचक तकनीकी परीक्षण करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावों का आपसी सहमति से भूमि अर्जन प्रस्ताव तथा प्रभावित भूमि धारकों को दिये जाने वाले समपूरक क्षतिपूर्ति राशि/भूमि के बदले भूमि/समायोजन प्रस्ताव पत्रावली में प्रस्तावित करेंगे।

10/4/2023
आयुक्त

नगरपालिका नाथद्वारा

क्रमांक/न.पा.नाथ/2023/22148-22153
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 10/4/2023

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
3. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा।
4. निर्माण शाखा, नगरपालिका नाथद्वारा।
5. सम्बन्धित श्री नगरपालिका नाथद्वारा को पालनार्थ।
6. सुरक्षित पत्रावली।

10/4/2023
आयुक्त

नगरपालिका नाथद्वारा